All India Council for Technical Education

(A Statutory body under Ministry of Education, Govt. of India)

Nelson Mandela Marg,Vasant Kunj, New Delhi-110070 Website: www.aicte-india.org

APPROVAL PROCESS 2023-24

Extension of Approval (EoA)

F.No. Northern/1-36499301105/2023/EOA Date: 15-May-2023

To,

The Principal Secretary (Tech. Edu.)
Govt. of Uttar pradesh,
Sachiv Bhawan, Lucknow-226001,
12A, Navin Bhawan,
U.P. Lucknow-226001

Sub: Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Ref: Online application of the Institution submitted for Extension of Approval for the Academic Year 2023-24

Sir/Madam,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the approval to:

Permanent Id	1-4398987541	**Application Id**	1-36499301105
Name of the Institution	RAJIV GANDHI POLYTECHNIC	**Name of the Society/Trust**	GRAMODYOG SEWA SANSTHAN
Institution Address	MUSAFIRKHANA DISTRICT AMETHI UP PIN 227813, MUSAFIRKHANA, AMETHI, Uttar Pradesh, 227813	**Society/Trust Address**	TOWN AREA MUSAFIRKHANA AMETHI UP,MUSAFIRKHANA,AMETHI,Uttar Pradesh,227813
Institution Type	Private-Self Financing	**Region**	Northern
Year of Establishment	2019		

To conduct following Courses with the Intake indicated below for the Academic Year 2023-24

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	CIVIL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	120	120	No	No
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	ELECTRICAL ENGINEERING	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	120	120	No	No

Level	Program	Course	Affiliating Body (University /Body)	Intake Approved for 2022-23	Intake Approved for 2023-24	NRI Approval Status	FN / Gulf quota/ OCI/ Approval Status
DIPLOMA	ENGINEERING AND TECHNOLOGY	MECHANICAL ENGINEERING (PROD)	Uttar Pradesh Board of Technical Education, Lucknow	60	60	No	No

It is mandatory to comply with all the essential requirements as given in APH 2023-24 (Appendix 6)
The Institution/ University is having the following deficiencies as per the online application submitted to AICTE and the same shall be complied within Six Months from the date of issue of this EoA

Deficiencies Noted based on Self Disclosure	
Particulars	**Deficiency**
1. Other Facilities Deficiency	
Establishment: Internal Committee(IC)	Yes

***Please refer Deficiency Report for details**

Important Instructions

1. The State Government/ UT/ Directorate of Technical Education/ Directorate of Medical Education shall ensure that 10% of reservation for Economically Weaker Section (EWS) as per the reservation policy for admission, operational from the Academic year 2019-20 is implemented without affecting the reservation percentages of SC/ ST/ OBC(NCL) / General. However, this would not be applicable in the case of Minority Institutions referred to the Clause (1) of Article 30 of Constitution of India. Such Institution shall be permitted to increase in annual permitted strength over a maximum period of two years.

2. The Institution offering courses earlier in the Regular Shift, First Shift, Second Shift/Part Time are now amalgamated as total intake and shall have to fulfil all facilities such as Infrastructure, Faculty and other requirements as per the norms specified in the Approval Process Handbook 2023-24 for the Total Approved Intake. Further, the Institutions Deemed to be Universities/ Institutions having Accreditation/ Autonomy status shall have to maintain the Faculty: Student ratio as specified in the Approval Process Handbook.

3. Strict compliance of Anti-Ragging Regulation, Establishment of Committee for SC/ ST, Establishment of Internal Committee (IC), Establishment of Online Grievance Redressal Mechanism, Barrier Free Built Environment for disabled and elderly persons, Fire and Safety Certificate should be maintained as per the provisions made in Approval Process Handbook and AICTE Regulation notified from time to time.

4. In case of any differences in content in this Computer generated Extension of Approval Letter, the content/information as approved by the Executive Council / General Council as available on the record of AICTE shall be final and binding.

5. As per the AICTE Notification dated 29.01.2014 and amended thereto, it shall be mandatory for each Technical Education Institution, University Department and Institution Deemed to be University imparting Technical Education to get accreditation (NBA) for at least 60% of the eligible courses in the next ONE (1) Years' time, otherwise EoA for the subsequent Academic Year (A.Y. 2024-25) shall not be issued by the Council.

6. Deemed to be University**:** Institutions Deemed to be Universities (Running Technical Education Programmes), it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Hon'ble Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in CA No.17869- 17870 /2017.

Prof.Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **The Director Of Technical Education**, Uttar Pradesh**

2. **The Principal / Director,**
   RAJIV GANDHI POLYTECHNIC
   Musafirkhana District Amethi Up Pin 227813,
   Musafirkhana,Amethi,
   Uttar Pradesh,227813

3. **The Secretary / Chairman,**
   TOWN AREA MUSAFIRKHANA AMETHI UP
   MUSAFIRKHANA,AMETHI
   Uttar Pradesh,227813

4. **Guard File(AICTE)**

Note: Validity of the Course details may be verified at http://www.aicte-india.org/

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

This is a computer generated Statement. No signature Required

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्याः- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090001 **लखनऊः दिनांकः 12-09-2023**

:-कार्यालय ज्ञाप-:

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् एवं फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संचालित डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में क्रमश: दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2009-RAJIV GANDHI POLYTECHNIC			
क्र0सं0	**पाठ्यक्रम का नाम**	**ए0आई0सी0टी0ई0/ पी0सी0आई0 द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**	**परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता**
1	CIVIL ENGINEERING	120	120
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✔ प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 311/16-3099/9/2022 टी0सी0-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संचालित समस्त संस्थानों की जाँच के विरुद्ध माननीय न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 5027/2023 में माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन संबद्धता निर्गत की जाती है।
- ✔ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✔ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली के मानक के अनुरूप संस्थान में समस्त संसाधन (भूमि, भवन, लैब उपकरण) आदि उपलब्ध हैं।
- ✔ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, विनियमावली-2000, सेमेस्टर विनियमावली-2016 तथा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होगें, और तद्नुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निधारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✔ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✔ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✔ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✔ यदि संस्थान का अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✔ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्/फार्मेसी काउन्सिल ऑफ़ इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✔ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✔ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्राविधिक शिक्षा के यू0राइज पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✔ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✔ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✔ उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा (समितियां और उपसमितियां, सँस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद् की मांग पर अपने कर्मचारियों, भवनों और फर्नीचर को परिषद् को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद् के अधिकार में रखेगी।
- ✔ संस्था के औचक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✔ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लघंन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230 **दिनांक: 12-09-2023**

प्रतिलिपिः-

प्रधानाचार्य/निदेशक,**RAJIV GANDHI POLYTECHNIC**

(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव